अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्रम सं	प्रश्न
1	कोई विदेश में एक रोजगार की तलाश कर सकता है?
2	विदेशों में रोजगार से संबंधित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है?
3	क्या विदेशों में भारतीय महिलाओं की तैनाती पर कोई प्रतिबंध है?
4	विदेशों में नौकरी के विज्ञापनों के संबंध में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
5	क्या सभी मामलों में रोजगार दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक है?
6	विदेश जाने की योजना बनाने वाले कुशल या अर्धकुशल श्रमिकों द्वारा किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है?
7	विदेश जाने की योजना बनाने वाले अकुशल श्रमिकों द्वारा कौन से दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है?
8	उत्प्रवास की स्वीकृति के लिए दिए गए एक आवेदन को किस आधार पर खारिज किया जा सकता है?
9	भर्ती एजेंट कौन हैं?
10	कैसे पता कर सकते हैं कि एक भर्ती एजेंट पंजीकृत है या नहीं?
11	एक भर्ती एजेंट के साथ किसी भी सौदे में प्रवेश करने से पहले क्या सुनिश्चित करना आवश्यक होता है?
12	कोई भर्ती एजेंटों के खिलाफ अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है या उनकी शिकायतों का निवारण किस तरह हो सकता है?
13	कोई विदेशी नियोक्ताओं के खिलाफ अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है या उनकी शिकायतों का निवारण किस तरह हो सकता है?
14	क्या विदेशी नियोक्ता सीधी भर्ती कर सकते हैं?
15	अवैध एजेंट कौन हैं?
16	कैसे पता लगाया जा सकता है कि विदेशों में नौकरी आदि की पेशकश करनेवाला कोई एजेंट, एक अवैध एजेंट है?
17	अगर एक प्रवासी ऐसे अवैध एजेंट के माध्यम से विदेशों में रोजगार के लिए जाता है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
18	यदि कोई इच्छुक प्रवासी एक देश में प्रवेश करने के लिए पर्यटक वीजा का चुनाव करता है और उस देश में पहुंचने के बाद किसी तीसरे देश के लिए कार्य वीजा प्राप्त करता है, तो इस मामले में क्या परिणाम हो सकते हैं?
19	विदेश मंत्रालय पीड़ित प्रवासियों या उसकी/ उसके रिश्तेदारों से प्राप्त शिकायतों का जवाब कैसे देता है?
20	प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) क्या है?
21	योजना द्वारा प्रस्तावित बीमा सुरक्षा (कवर) क्या है और अंतिम लाभार्थी कौन हो सकता है?
22	पीबीबीवाई की अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

23	इस योजना के द्वारा पेशकश किए जाने वाले चिकित्सा लाभ क्या हैं?
24	पीबीबीवाई के लिए श्रमिक द्वारा किस प्रीमियम का भुगतान किया जाता है?
25	एक उत्प्रवासी द्वारा सुरक्षा जमा वापस लेने की क्या प्रक्रिया है?
26	भारत सरकार द्वारा नीतिगत उपायों में क्या सुधार शुरू किए गए हैं?
27	खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की एक बड़ी संख्या हैं। क्या रोजगार के लिए खाड़ी क्षेत्र जाने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश हैं?
28	भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों द्वारा दायर शिकायतों का समाधान कैसे करती है?
29	रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों द्वारा की गई शिकायतों की प्रकृति क्या है?
30	उत्प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?
31	विदेश में एक रोजगार पाने के लिए भारत छोड़ने से पहले किन बातों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए?
32	रोजगार की पेशकश करने वाले एक बाहरी देश में पहुंचने के बाद किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए?

1. कोई विदेशों में रोजगार की तलाश कैसे कर सकता है?

एक व्यक्ति या तो एक पंजीकृत भर्ती एजेंट के माध्यम से या सीधे एक विदेशी नियोक्ता या एक परियोजना निर्यातक के माध्यम से विदेश में रोजगार ले सकता है।

2. विदेशों में रोजगार से संबंधित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है?

प्रासंगिक सभी जानकारी www.emigrate.gov.in पर उपलब्ध है।

3. क्या विदेशों में भारतीय महिलाओं की तैनाती पर कोई प्रतिबंध है?

भारतीय महिलाओं प्रवासियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए, उत्प्रवास जांच आवश्यक (ईसीआर) पासपोर्ट धारक, 30 साल से कम और 50 वर्ष से ऊपर की उम्र की महिलाओं को उत्प्रवास की मंजूरी नहीं दी गई है। यह प्रतिबंध पासपोर्ट पर ईसीआर पर का अनुमोदन प्राप्त कर चुकी और 18 ईसीआर देशों में से किसी एक में जा रही भारतीय महिलाओं प्रवासियों के लिए लागू होता है। वर्तमान में, राज्यों द्वारा चलाई जाने वाली केवल छह भर्ती एजेंसियों अर्थात् (क) एनओआरकेए रुट्स (केरल), (ख) ओडीईपीसी (केरल), (ग) ओएमसीएल (तमिलनाडु), (घ) यूपीएफसी (उत्तर प्रदेश), (ङ) ओएमसीएपी (आंध्र प्रदेश) और (च) टीओएमसीओएम (तेलंगाना), को महिला श्रमिकों की भर्ती करने के लिए अधिकृत किया गया है। खराब सुरक्षा स्थिति की वजह से किसी भी प्रवासी को लीबिया भेजने पर प्रतिबंध है।

4. विदेशों में नौकरी के विज्ञापनों के संबंध में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

एक पंजीकृत भर्ती एजेंट के द्वारा दिए गए विज्ञापन के मामले में, यह जाँच की जानी चाहिए कि उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है या नहीं। पंजीकरण प्रमाणपत्र मान्य होना चाहिए। इसी तरह, विदेशी नियोक्ताओं और परियोजना निर्यातकों द्वारा दिए गए विज्ञापन में उनके परमिट नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। संभावित आवेदक को नौकरी और ऐसे नियोक्ताओं की सत्यता की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए काम की प्रकृति और प्रस्तावित वेतन के ब्यौरे के अलावा विज्ञापनदाता के संपर्क टेलीफोन/फैक्स नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर, ई-मेल पते के साथ पूरे पते का उल्लेख किया जाना चाहिए। किसी भी शक के मामले में प्रवासियों के महासंरक्षक के साथ-साथ उत्प्रवासी संरक्षक से स्पष्टीकरण की मांग भी की जा सकती है।

5. क्या सभी मामलों में रोजगार दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक है?

18 ईसीआर देशों में से किसी के लिए "अकुशल श्रमिकों" और "नौकरानी" की भर्ती के मामले में संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा रोजगार दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है। इस के अलावा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, सूडान और यमन में श्रमिकों की सभी श्रेणियों के लिए सत्यापन आवश्यक है।

6. विदेश जाने की योजना बनाने वाले कुशल या अर्धकुशल श्रमिकों द्वारा किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है?

उत्प्रवासी संरक्षक (पीओईएस) से सीधे उत्प्रवास की मंजूरी की मांग करने वाले, अर्थात् भर्ती एजेंटों के माध्यम से मंजूरी नहीं मांगने वाले अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को मूल रूप में का प्रस्तुत करना आवश्यक है:

i. छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए वैध पासपोर्ट
ii. वैध रोजगार वीजा
iii. विदेशी नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित रोजगार अनुबंध।
iv. निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया गया चालान
v. प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों (2008 में संशोधित पीबीबीवाई -2006) में से किसी से बीमा पॉलिसी

7. विदेश जाने की योजना बनाने वाले अकुशल श्रमिकों द्वारा कौन से दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है?

विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले अकुशल श्रमिकों और घरेलू सेवा श्रमिकों को उत्प्रवास के लिए मंजूरी प्राप्त करने के समय निम्नलिखित दस्तावेज (मूल रूप में) प्रस्तुत करना आवश्यक है:

i. छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए वैध पासपोर्ट

ii. वैध रोजगार वीजा।

iii. भारतीय मिशन/ पोस्ट द्वारा विधिवत सत्यापित विदेशी नियोक्ता से प्राप्त रोजगार अनुबंध या संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट से प्राप्त अनुमति पत्र।

iv. निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त चालान।

v. प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों (2008 में संशोधित पीबीबीवाई - 2006) में से किसी से बीमा पॉलिसी

8. उत्प्रवास की स्वीकृति के लिए दिए गए एक आवेदन को किस आधार पर खारिज किया जा सकता है?

उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उत्प्रवासी संरक्षक निम्न में से किसी भी एक या अधिक के आधार पर उत्प्रवास की मंजूरी के लिए दिए गए एक आवेदन पत्र को **खारिज** कर सकते हैं:

i. आवेदक द्वारा जिसे लेने का प्रस्ताव किया गया है, उस रोजगार के नियम और शर्तें भेदभावपूर्ण या शोषक हैं।

ii. आवेदक जिस रोजगार को लेने का प्रस्ताव कर रहा है उसमें ऐसी प्रकृति का कार्य शामिल है जो भारत के कानूनों के अनुसार अवैध है या भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ जाता है या मानव गरिमा और शालीनता के मानदंडों का उल्लंघन करता है।

iii. आवेदक को काम करने या रहने की घटिया स्थिति में काम करना या रहना होगा।

iv. जहां आवेदक रोजगार स्वीकारने का प्रस्ताव कर रहा है, उस देश या स्थान की मौजूदा परिस्थितियों या किसी अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्प्रवास करना आवेदक के हित में नहीं होगा।

v. कि अगर आवेदक की भारत के लिए स्वदेश वापसी आवश्यक हो जाती है तो इसकी व्यवस्था करने के लिए होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं या इस संबंध में की गई व्यवस्था उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

9. भर्ती एजेंट कौन हैं?

विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती को कारगर बनाने और प्रवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए, उत्प्रवास अधिनियम 1983 में कहा गया है कि केवल अधिनियम के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत भर्ती एजेंट ही विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती करने के व्यापार का संचालन कर सकते हैं।

10. कैसे पता कर सकते हैं कि एक भर्ती एजेंट पंजीकृत है या नहीं?

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत में विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची www.emigrate.gov.in पर देखी जा सकती है।

11. एक भर्ती एजेंट के साथ किसी भी सौदे में प्रवेश करने से पहले क्या सुनिश्चित करना आवश्यक होता है?

i. यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि भर्ती एजेंट द्वारा जो पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्रदर्शित किया गया है, वह समय के उस बिंदु पर वैध है या नहीं। इसके बाद प्रस्तावित नौकरी, वेतन और विदेशी नियोक्ता के ब्यौरे को लिख लें, और विदेशी नियोक्ता के साथ-साथ इस वेबसाइट पर अपलोड की गई पूर्व अनुमोदित श्रेणी (पीएसी) की सूची से उसकी जाँच करें। संदेह की स्थिति में, टेलीफोन पर या ई-मेल के माध्यम से संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट के माध्यम से नौकरी की असलियत के साथ ही नियोक्ता की पुष्टि करें। भारतीय मिशनों/पोस्ट के विवरण www.meaindia.nic.in और www.india.gov.in पर उपलब्ध हैं।

ii. जब तक नौकरी और नियोक्ता की असलियत स्थापित न कर ली गई हो एजेंट को कोई पैसा, अपना पासपोर्ट, शिक्षा या अनुभव प्रमाण पत्र न सौंपें।

iii. रोजगार अनुबंध के अनुसार 45 दिनों की मजदूरी के बराबर और अधिकतम 20,000 रुपए के निर्धारित शुल्क से अधिक का भुगतान न करें और पैसे/शुल्क का भुगतान करने की एक उचित रसीद प्राप्त करें।

12. कोई भर्ती एजेंटों के खिलाफ अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है या उनकी शिकायतों का निवारण किस तरह हो सकता है?

भर्ती एजेंटों के खिलाफ शिकायतों को पोस्ट के माध्यम से या ई-मेल द्वारा helpline@owrc.in को संबोधित किया जा सकता है। शिकायतें भी दस उत्प्रवासी संरक्षकों में से किसी के भी पास दायर की जा सकती हैं या उन्हें "उत्प्रवासी महासंरक्षक" चिह्नित और अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 के रिसेप्शन क्षेत्र पर रखे बॉक्स में डाला जा सकता है।24x7 काम करने वाली एक टोल फ्री हेल्पलाइन नं 1800-11 -3090 पर भी पहुंचा जा सकता है। इन सब के अलावा, कोई भी प्रवासी श्रमिक संसाधन केंद्र में (ओडब्ल्यूआरसी), डी-19, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- I, नई दिल्ली - 110019 में स्थित वॉक-इन परामर्श केंद्र की सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है। ओडब्ल्यूआरसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण http://www.owrc.in/about_counseling.html पर उपलब्ध हैं।

13. कोई विदेशी नियोक्ताओं के खिलाफ अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है या उनकी शिकायतों का निवारण किस तरह हो सकता है?

एक पीड़ित प्रवासी टेलीफोन पर या ई-मेल के माध्यम से उस देश में स्थित भारतीय मिशन/पोस्ट के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसका विवरण www.meaindia.nic.in और www.india.gov.in पर उपलब्ध है। वे ऊपर के पूर्ववर्ती बिंदु में उल्लिखित विकल्प का भी सहारा ले सकते हैं।

14. क्या विदेशी नियोक्ता सीधी भर्ती कर सकते हैं?

जिन विदेशी नियोक्ताओं ने इस संबंध में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली हो, उन्हें सीधी भर्ती की अनुमति है।

15. अवैध एजेंट कौन हैं?

जो लोग उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना विदेशी भर्ती व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, वे अवैध एजेंट हैं।

16. कैसे पता लगाया जा सकता है कि विदेशों में नौकरी आदि की पेशकश करनेवाला कोई एजेंट, एक अवैध एजेंट है ?

कोई भी व्यक्ति, जो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना विदेशी भर्ती व्यापार का संचालन कर रहा है और जिसका नाम www.emiqrate.gov.in पर रखी भर्ती एजेंटों की सूची में शामिल नहीं है, वह एक अवैध एजेंट है ।

17. अगर एक प्रवासी ऐसे अवैध एजेंट के माध्यम से विदेशों में रोजगार के लिए जाता है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं?

उसे निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है:

• धोखा / धोखाधड़ी - भुगतान किए गए पैसे की वसूली की कम संभावना के साथ।

• अधिक पैसे वसूलना

• संकट के मामले में बचाव मुश्किल हो सकता है, क्योंकि केवल भारतीय मिशन/विदेश में स्थित पोस्ट मदद/हस्तक्षेप कर सकते हैं।

• अवैध प्रवास की वजह से प्रवासी के लिए बहुत ही जोखिम भरा होता है, उसे पकड़ा जा सकता है और वापस भेजा जा सकता है या निर्वासित अथवा कैद किया जा सकता है।

18.यदि कोई इच्छुक प्रवासी एक देश में प्रवेश करने के लिए पर्यटक वीजा का चुनाव करता है और उस देश में पहुंचने के बाद किसी तीसरे देश के लिए कार्य वीजा प्राप्त करता है, तो इस मामले में क्या परिणाम हो सकते हैं?

एक वैध कार्य वीजा की बजाय पर्यटक वीजा का चयन, अवैध उत्प्रवास के समान माना जाता है और इच्छुक प्रवासी पकड़ा जा सकता है और वापस भेजा जा सकता है या निर्वासित अथवा कैद किया जा सकता है।

19. विदेश मंत्रालय पीड़ित प्रवासियों या उसकी/ उसके रिश्तेदारों से प्राप्त शिकायतों का जवाब कैसे देता है?

किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर, मामले/मुद्दे को हल करने के लिए शिकायत को संबंधित मिशन/विदेशों में स्थित पोस्ट द्वारा संभाला जा जाता है।

20. प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) क्या है?

भारत से जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के प्रयास में, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) शुरू की थी, जो ईसीआर पासपोर्ट पर रोजगार के लिए देश को छोड़कर विदेश जाने वाले सभी श्रमिकों के लिए (उन देशों को छोड़कर जिनके लिए उत्प्रवास की जांच आवश्यक नहीं है) एक अनिवार्य बीमा योजना है। इस योजना की घोषणा 2003 में आयोजित प्रवासी भारतीय समुदाय के वार्षिक सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। इसके बाद, फरवरी 2006 में इस योजना को संशोधित कर इसे 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया था और श्रमिकों के लिए अन्य लाभ भी जोड़े गए थे। 2008

में, बीमा कवर को और बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। यह विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के कल्याण और हितों की देखभाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता का सूचक है।

21.योजना द्वारा प्रस्तावित बीमा सुरक्षा (कवर) क्या है और अंतिम लाभार्थी कौन हो सकता है?

प्रारंभ में, विदेशों में कार्यरत ऐसे किसी भी भारतीय प्रवासी की रोजगार के दौरान मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में उसके नामित/कानूनी वारिस को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देने की पेशकश की गई थी, जिसने विदेश जाने से पहले उत्प्रवास स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

हालांकि, 2006 में, हैदराबाद में आयोजित तत्कालीन प्रवासी भारतीय दिवस में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रवासी श्रमिकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीबीबीवाई बीमा कवर को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर घोषणा की 5 लाख रुपए करने थी। 2008 में इस कवर को और बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया था। पीबीबीवाई रोजगार अनुबंध की पूरी अवधि या दो वर्ष, इनमें से जो भी अधिक हो, को आवृत करता है।

22. पीबीबीवाई की अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

10 लाख रुपए के सुरक्षा कवर की पेशकश के अलावा, यह बीमा योजना प्रवासी श्रमिक और उसके आश्रितों को निम्नलिखित लाभ प्रदान भी करता है:

i. एक मौत के मामले में, बीमा कंपनी द्वारा मृतदेह के भारत परिवहन की लागत के अलावा, एक सहायक के लिए एक तरफ के विमान किराये की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

ii. अगर किसी श्रमिक को उनके विदेश में गंतव्य तक पहुंचने पर नियोक्ता द्वारा उसे नहीं ले जाया जाता है, या रोजगार अनुबंध में कोई ठोस बदलाव हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप प्रवासी के हित को नुकसान होता है या अगर प्रवासी की कोई गलती न होने पर भी रोजगार, रोजगार की अवधि के भीतर समय से पहले समाप्त हो जाता है, तो बीमा कंपनी स्वदेश वापसी के इकोनॉमी क्लॉस में एक तरफ के विमान किराये की प्रतिपूर्ति करती है, बशर्ते कि इस प्रकार वापसी के आधार को संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

iii. ऐसे मामलों में जहां भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा स्वदेश वापसी की व्यवस्था की गई है, बीमा कंपनी संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट को वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी।

iv. बीमा पॉलिसी दो वर्ष की न्यूनतम अवधि या रोजगार अनुबंध की वास्तविक अवधि, इनमें जो भी अधिक हो, के लिए मान्य है।

v. बीमित प्रवासी को उसके रोजगार से संबंधित किसी भी मुकदमेबाजी में, उसके द्वारा किए गए कानूनी खर्च के संबंध में 25,000 रुपए की एक न्यूनतम राशि के लिए सुरक्षा आवरण प्रदान किया जाता है। महिला श्रमिकों के मामले में पॉलिसी 20,000 रुपए का मातृत्व लाभ भी प्रदान करती है।

23. इस योजना के द्वारा पेशकश किए जाने वाले चिकित्सा लाभ क्या हैं?

पीबीबीवाई बीमित व्यक्ति और उसके (महिला/पुरुष) आश्रितों के लिए निम्न चिकित्सा लाभ प्रदान करती है:

i. अगर बीमित व्यक्ति, बीमार हो जाए या उसे काम शुरू करने या जारी रखने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है और बीमा लेने के 12 महीने के भीतर विदेशी नियोक्ता द्वारा सेवा अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है तो बीमा कंपनी द्वारा एक तरफ से इकोनॉमी क्लॉस के वास्तविक विमान किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ii. बीमा पॉलिसी बीमा की अवधि के दौरान होने वाली आकस्मिक चोट या बीमारी के लिए भारत में या उसके रोजगार के देश में बिना नकदी के अस्पताल में भर्ती या बीमा प्रवासी मजदूर की वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपए की एक न्यूनतम राशि का चिकित्सा कवर प्रदान करती है।

iii. बीमा पॉलिसी, संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा प्रमाणित अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने पर महिला प्रवासियों को 20,000 रुपए का न्यूनतम मातृत्व लाभ भी प्रदान करती है।

iv. बीमित व्यक्ति की मौत या स्थायी विकलांगता की स्थिति में भारत में प्रवासी श्रमिक का परिवार भी, जिसमें पति या पत्नी और 21 साल तक की उम्र के दो आश्रित बच्चे शामिल हैं, प्रति वर्ष 25,000 रुपए की अधिकतम राशि के लिए अस्पताल में भर्ती सुरक्षा कवर प्राप्त करने का हकदार है।

24. पीबीबीवाई के लिए श्रमिक द्वारा किस प्रीमियम का भुगतान किया जाता है?

बीमा कंपनी निष्पक्ष और उचित प्रीमियम (2 और 3 साल की पॉलिसी अवधि के लिए क्रमशः लगभग 275 रुपए और 375 रुपए) लेती है। लागू रूप में कर लिए जाते हैं। सरकार ने यह भी

निर्धारित किया है कि एक उत्प्रवासी बीमा कवर के लिए अपनी पसंद की कंपनी का चयन कर सकते हैं।

25. एक उत्प्रवासी द्वारा सुरक्षा जमा वापस लेने की क्या प्रक्रिया है?

एक उत्प्रवासी जमा करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बीत जाने के बाद सुरक्षा जमा वापस लेने का हकदार है। प्रवासी के लिए संबंधित पीओई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बैंक रसीद के साथ अपना पासपोर्ट और इस्तेमाल किया गया टिकट पेश करना आवश्यक है। पीओई से मंजूरी लेने के बाद बैंक से जमा राशि वापस ली जा सकती है। कृपया ध्यान रखें कि 2003 में पीबीबीवाई के आरंभ होने के बाद से किसी प्रवासी से कोई सुरक्षा जमा नहीं लिया गया है। इस प्रकार, सुरक्षा जमा की वापसी केवल उन श्रमिकों के लिए लागू है जो 2003 से पहले विदेश गए थे ।

26. भारत सरकार द्वारा नीतिगत उपायों में क्या सुधार आरंभ किए गए हैं?

इस संबंध में निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है:

i. सरकार उत्प्रवास प्रणाली को बदलने और राष्ट्रीय, द्विपक्षीय के साथ ही बहुपक्षीय मोर्चों के माध्यम से प्रणालीगत हस्तक्षेप कर प्रवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक सक्रिय नीति बना रही है।

ii. उत्प्रवास स्वीकृति प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। ई-गवर्नेंस के व्यापक कार्यान्वयन के लिए पूरी उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल, त्वरित, प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने और एक साझा मंच पर सभी हितधारकों को जोड़ने की एक परियोजना के लिए काम चल रहा है।

iii. श्रमिकों की तैनाती और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग के लिए मेजबान देशों के साथ करार/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

iv. यह सरकार का उन देशों के साथ, जहां भविष्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर उभरने की संभावना है, श्रम गतिशीलता भागीदारी करार पर हस्ताक्षर कर द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से भारतीय श्रमिकों के लिए विदेशी गंतव्य के आधार में विविधता लाने का प्रयास है।

v. भारतीय पेशेवरों/श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के हितों की रक्षा करने के लिए विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार को आगे बढ़ाया जा रहा है।

vi. संभावित प्रवासियों के कौशल उन्नयन और पूर्व प्रस्थान उन्मुखीकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है।

vii. प्रवासियों को कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग सभी देशों में भारतीय समुदाय कल्याण निधि निर्मित की गई है ।

viii. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के लागू होने के बाद से प्रवासियों का शोषण करने के लिए अग्रणी कई कमियां सरकार की जानकारी में आ गई हैं। उन्हें संबोधित करने और भर्ती प्रणाली को और अधिक पेशेवर और जवाबदेह बनाने के लिए इसमें संशोधन करने के लिए कई सुधार किए गए हैं, और भर्ती एजेंटों की एक रेटिंग प्रणाली शुरू करने तथा भर्ती एजेंटों (आरए) के लिए एक राष्ट्रीय पेशेवर निकाय की स्थापना का काम चल रहा है।

ix. विदेशों में रोजगार के मामलों पर सरकार को सलाह देने और अनुसंधान, अध्ययन के माध्यम से रणनीतियों और प्रवास के प्रबंधन में अच्छे व्यवहार को विकसित करने के लिए सरकार ने विभिन्न देशों में रोजगार के लिए एक भारतीय परिषद की स्थापना की है।

x. विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में प्रवासी मजदूर संसाधन केन्द्र (ओडब्ल्यूआरसी) द्वारा एक 24x7 हेल्पलाइन चलाई जा रही है, जो प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए जानकारी और सहायता प्रदान करती है ।

xi. प्रवासियों को उत्प्रवास प्रक्रियाओं, शामिल जोखिम, बरती जाने वाली सावधानियों और प्रवासियों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक मल्टी मीडिया जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

xii. सरकार द्वारा समय-समय पर इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रवासियों अवैध एजेंटों को संवद्ध करने से बचना चाहिए क्योंकि यह प्रवासियों के लिए कई समस्याएं/ जटिलताएं उत्पन्न करता है ।

27. खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की एक बड़ी संख्या हैं। क्या रोजगार के लिए खाड़ी क्षेत्र जाने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश हैं?

निम्नलिखित पर ध्यान देना उपयोगी होगा:

i. अगर आप सऊदी अरब में एक विदेशी श्रमिक हैं, और आप किसी भी स्थान या समय पर अपने 'इकमा' के बिना पाए जाते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में, कानून की मांग है कि आपको अपने 'बटाका' के बिना सार्वजनिक रूप से घुमना-फिरना नहीं करना चाहिए। इकमा और बटाका पहचान पत्र हैं जो सभी विदेशी श्रमिकों को उनके यहां आने के बाद दोनों देशों द्वारा जारी किए जाते हैं।

ii. खाड़ी देशों में से अधिकांश नियोक्ता में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देते। अपने अनुबंध की समाप्ति पर, भले ही वह समय से पहले हो, आपको देश छोड़ देना चाहिए।

iii. विदेशों में नौकरियों की तलाश करने वाले लोगों को पंजीकृत भर्ती एजेंटों के साथ ही लेनदेन करना चाहिए और निर्धारित सेवा शुल्क से अधिक का भुगतान नहीं करना चाहिए। भर्ती एजेंट के लिए किए गए भुगतान की रसीद लेकर उसे संरक्षित किया जाना चाहिए।

iv. प्रवासी श्रमिकों को अपने सेवा करार, अंग्रेजी और अरबी दोनों में को प्राप्त करना चाहिए और रोजगार के देश में अपने पासपोर्ट और सेवा अनुबंध की प्रतियों को अलग नहीं करना चाहिए।

v. मजदूरी के गैर-भुगतान या भुगतान में देरी के लिए भारतीय मिशन/विदेशों में स्थित पोस्ट को सूचित किया जा सकता है।

vi. सऊदी अरब में कोई श्रमिक अतिरिक्त रोजगार नहीं ले सकता। अगर वैध कारण के बिना श्रमिक को निकाल दिया जाता है, तो वह 15 दिनों के भीतर श्रम कार्यालय के निदेशक के साथ एक स्थगन आवेदन फाइल कर सकता है।

28. भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों द्वारा दायर शिकायतों का समाधान कैसे करती है?

i. प्रवासियों या इच्छुक प्रवासियों द्वारा पंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ की गई शिकायतों की उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा और विदेश मंत्रालय में प्रवासी रोजगार प्रभाग में जांच की जाती है। जहां भी आवश्यक हो, शिकायतों/परेशानियों को संबंधित भारतीय मिशन/विदेशों में स्थित पोस्ट में भेजा जाता है। संबंधित भर्ती एजेंट को भी एक निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत का समाधान करने का निर्देश दिया जाता है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

ii. अनधिकृत/अवैध भर्ती एजेंटों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार को भेजा जाता है। संबंधित पुलिस अधिकारियों से भी इस मामले में जांच/उचित

कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जाता है। शिकायतकर्ता को भी ऐसे एजेंटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

iii. विदेशी नियोक्ताओं के खिलाफ शिकायतों को भारतीय मिशनों/विदेश स्थित पोस्ट में संभाला जाता है। संबंधित भारतीय मिशन/ पोस्ट के साथ परामर्श में, एक अड़ियल विदेशी नियोक्ता (उसे पीएसी सूची में रखकर) को काली सूची में डाला जाता है। पूर्व अनुमोदन श्रेणी (पीएसी) के अंतर्गत ऐसे विदेशी नियोक्ताओं की एक सूची के www.emigrate.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

29. रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों द्वारा की गई शिकायतों की प्रकृति क्या है?

वैश्विक प्रगतिशील उदारीकरण के बाद भारतीयों के रोजगार के प्रयोजनों के लिए विदेश जाने की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, विदेशी नियोक्ताओं के हाथों शोषण सहित प्रवासियों के गंभीर समस्याओं का सामना करने के मामले हुए हैं।

उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) और उत्प्रवासी संरक्षक (पीओईएस) के कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायतें निम्न प्रकार की हैं:

i. विदेशी नियोक्ताओं द्वारा रोजगार अनुबंध को एकतरफा श्रमिकों के नुकसान में बदल दिया जाता है,

ii. श्रमिक को जिस काम के लिए वह भारत में भर्ती किया गया था और उसने जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है, उससे अलग काम करने के लिए रखा जाता है।

iii. श्रमिक को नियोक्ता द्वारा कोई भी रोजगार नहीं दिया जाता या खुद एक नौकरी तलाश करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अपने वेतन से एक कमीशन का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है।

iv. पंजीकृत भर्ती एजेंट निर्धारित शुल्क की तुलना में अधिक सेवा शुल्क लेते हैं।

v. नियोक्ता समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं करते और रोजगार अनुबंध भी समय से पहले समाप्त कर देते हैं।

vi. रहने और काम करने की असंतोषजनक स्थिति, उत्पीड़न, अत्याचार, वेतन में देरी, मृत्यु या विकलांगता, आदि की दिशा में मुआवजा देने में देरी।

30. उत्प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

i. सरकार भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उत्प्रवासी महासंरक्षक भर्ती एजेंटों, भारतीय मिशनों / विदेशी पोस्ट, विदेशी सरकारों और/या विदेशी नियोक्ताओं की मदद से प्रवासियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए सभी संभव प्रयास करती है। भारतीय मिशन/ पोस्ट सहायता प्रदान करते हैं और शिकायतों/परेशानियों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए भारतीय प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों को संबंधित विदेशी अधिकारियों के साथ निपटाते हैं।

ii. धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोकने के लिए, भर्ती एजेंटों के लिए मांग पत्र और विदेशी नियोक्ता द्वारा जारी मुख्तारनामे के साथ उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक नमूना रोजगार अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक है।

iii. अवैध भर्ती एजेंटों द्वारा भर्ती के सभी मामलों को पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच/उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/ संघ राज्य सरकार को भेजा जाता है।

31. विदेश में एक रोजगार पाने के लिए भारत छोड़ने से पहले किन बातों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए?

इससे पहले कि आप एक अन्य देश में एक नौकरी लेने के लिए भारत छोड़ते हैं, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए:

i. आप एक पासपोर्ट और रोजगार वीजा है जो कम से कम अगले 6 महीने के लिए मान्य है,

ii. आपके पास, आप और आपके विदेशी नियोक्ता या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए गए करार/अनुबंध की एक प्रति है

iii. आपके पास प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी एक कंपनी की एक बीमा पॉलिसी है।

iv. आपको विदेश से भेजे जाने वाले धन को भेजने में सक्षम करने के लिए आपके पास एक बचत बैंक खाता है।

32. रोजगार की पेशकश करने वाले एक बाहरी देश में पहुंचने के बाद किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए?

एक बार जब आप गंतव्य देश में पहुँच जाते हैं, जहां आपको एक नौकरी की पेशकश की गई है तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि:

i. आपको किसी भी कीमत पर अपना पासपोर्ट नहीं खोना चाहिए

ii. आपको किसी भी अन्य समझौते या किसी भी कोरे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए,

iii. आपको हड़ताल में भाग या आंदोलन का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह गैरकानूनी है और आपको भारत वापस भेजा जा सकता है,

iv. आपको हमेशा निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट का पता और टेलीफोन नंबर अपने साथ रखना चाहिए।

v. आपको भारतीय मिशन / पोस्ट से सभी शिकायतों की रिपोर्ट करनी चाहिए।